

459

113

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविधे/3/2011

जयपुर, दिनांक 15 FEB 2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, (समस्त) राजस्थान।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" में आवेदन पत्र लिये जाने हेतु।

विभागीय समसंरक्षक पत्र दिनांक 17.10.2012 एवं 26.12.2012 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान शिविर अवधि दिनांक 28.12.2012 से दिनांक 15.02.2013 तक बढ़ा दी गयी थी और शिविर अवधि में आवेदन करने पर अभियान के लिए दी गयी शिथिलताओं का लाभ संबंधित को प्रदान किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये थे।

विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावरड समिति की बैठक दिनांक 12.02.2013 में अब इस विषय में लिए गए निर्णयानुसार यह निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 31.03.2013 तक अभियान के दौरान किये जा रहे कार्यों में आवेदन कार्यालयों में प्राप्त कर उनका निष्पादन अभियान की फोलोअप अवधि दिनांक 31.03.2013 तक सुनिश्चित किया जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी दिनांक 31.03.2013 तक प्रदत्त शिथिलताएँ लागू होंगी।

राज्यपाल का आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु अर्पित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशेष सहक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. समस्त सभासदीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त अधिकारीगण, नविधे।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ पत्रावली।

(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

(389)